विषय सं□या-1 न्यायालय संख्या- 4 खंड जनहित याचिका

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाही का ब्यौरा

याचिका आवेदन (सिविल) 2001 का नंबर-196

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (याचिकाकर्त्ता)

बनाम

भारतीय संघ और अन्य (प्रतिवादी)
(सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस डी.पी. वाधवा द्वारा संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत)

WITH I.A.Nos.90, 93, 102-1053 in W.P.(C)No.196/2001
(For permission behalf of Respondent No.17 i.e. State of
Maharashtra, modification and directions, intervention on behalf of West Bengal
M.R.Dealers' Association and All Bengal Fair Price Shop Dealers Welfare
Association, impleadment and exemption from filing O.T.)

with
I.A.Nos.104 and 105 (Appln.(s) for impleadment and exemption from filing O.T.)

दिनांक: 12/08/2010 इस याचिका/आवेदन पर आज सुनवाई की बारी थी।

कोरम:
माननीय श्री न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी
माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

याचिकाकर्ताओं की ओर से

श्री कॉलिन गोन्सालिवस, वरिष्ठ अधिवक्ता
सुश्री ज्योति मेन्दीरत्ता

प्रतिवादी की ओर से

श्री गोपाल सुब्रामण्यम, भारत के महाधिवक्ता
श्री मोहन परासरण, अतिरिक्त महाधिवक्ता
श्री डी.एल. चिदानंद, अधिवक्ता
सुश्री सुनीता शर्मा, अधि.
श्री कृष्ण कुमार, अधि.
श्री एन.एस. पुंडीर, अधि.
श्री एस.एस. रावत, अधि.
सुश्री सायमा बख्शी, अधि.
सुश्री सुषमा सूरी, अधि. की ओर से
श्री अनिल कटियार, अधि. की ओर से
श्री डी. एस मेहरा, अधि. की ओर से
श्री बी.वी. बलराम दास, अधि. की ओर से

श्री जन कल्याण दास, अधिवक्ता (उपस्थित नहीं)

सुश्री हेमंतिका वाही, अधि.
सुश्री रेणुका साहू, अधि.
सुश्री इंदिरा साहनी, अधि.
डा. मनीष सिंघवी, एएजी

श्री देवांशु कुमार देवेश, अधि.
श्री मिलिंद कुमार, अधि.
श्री नवनीत कुमार, अधि.
मैसर्स कॉरपोरेट लॉ ग्रुप, अधिवक्ताओं की ओर से

सुश्री रचना श्रीवास्तव, अधि.

श्री टी. वी. जॉर्ज, अधि. (उपस्थित नहीं)

सुश्री कामिनी जायसवाल, अधि.
सुश्री सुनीता द्विवेदी, अधि.
श्री खवाईराकपम नोबिन सिंह, अधि.
श्री सपम विश्वजीत मेइती, अधि.

श्री रंजन मुखर्जी

श्री आर. सुंदरावर्धन, वरिष्ठ अधि.
श्री एस.जे. एरिस्टोटिल, अधि.
श्री प्रभु रामसुब्रमण्यन, अधि.
श्री वी.जी. प्रगासम, अधि. की ओर से

श्री जतिन्दर कुमार भाटिया, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री प्रमोद स्वरूप, वरिष्ठ अधि.
श्री साहिल के. द्विवेदी, ए ए जी

श्री आर. के. गुप्ता, अधि.
श्री राजीव दुबे, अधि.
श्री कमलेंदु मिश्रा, अधि.

श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री गोपाल सिंह, अधि.
श्री मनीष कुमार, अधि.
श्री ॠतुराज बिस्वास, अधि.

श्री तारा चंद्र शर्मा, अधि.
सुश्री नीलम शर्मा, अधि.

श्री अनिल श्रीवास्तव, अधि.
श्री रितुराज विस्वास, अधि.

श्री एडवर्ड बेल्हो, अधि.
श्री एनाटोली सेमा, अधि.
श्री पी.वी. योगेश्वरन की ओर से

श्री टी. हरीश कुमार, अधि.
श्री प्रशांत पी, अधि.
श्री वी. वासुदेवन, अधि.

श्री संजीव सेन, अधि.

श्री पी. परमेश्वरन, अधि.
सुश्री अनुजा चोपड़ा, अधि.

श्री अतुल झा, अधि.
श्री डी.के. सिन्हा, अधि. की ओर से

श्री गोपाल प्रसाद, अधि.

सुश्री अंजना चंद्रशेखर, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री रमेश बाबू एम.आर, अधि. (उपस्थित नहीं)

सुश्री डी भारती रेड्डी, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री संजय आर. संजय हेगड़े, अधि.
श्री अभिषेक मालवीजी, अधि.
श्री कृतीन जोशी, अधि.

सुश्री सी.के. सुचरिता, अधि.

सुश्री सुमिता हजारिका, अधि. (उपस्थित नहीं)

सुश्री ए सुभाषिनी, अधि.

श्री कुलदीप सिंह, अधि.

श्री रवींद्र केशवराव अदसुरे, अधि.

श्री प्रशांत कुमार, अधि.

श्री विश्वजीत सिंह, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री शेखर नफाडे, वरि. अधि.
श्री संजय वी. खराडे, अधि.
सुश्री आशा जी नायर, अधि.

श्री के.वी. मोहन, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री राजेश श्रीवास्तव, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री अणुव्रत शर्मा, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री के.एन. मधुसुदनन, अधि.
श्री आर. सतीश, अधि. की ओर से

श्री आर.सी. कौशिक, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री ए.के. सिंह तरूण, अधि.

श्री बी.पी. यादव, अधि.
श्री देबाशीष मिश्रा, अधि. की ओर से

श्री प्रदीप मिश्रा, अधि.

श्री वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, अधि.

श्री बी.एस. बैंठिया, अधि.
श्री उपाध्याय विकास, अधि.

श्री जी. प्रकाश, अधि.

श्री अनिल कुमार झा, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री विकास मेहता, अधि.

श्री नरेश के. शर्मा, अधि.

श्री अनीस सुहरावर्दी, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्री सुनील फर्नांडीस, अधि.
श्री विक्रांत नागपाल, अधि.
श्री एस. गोयल, अधि.

श्री एस.एम. जाधव, अधि. (उपस्थित नहीं)

श्रीमति अरूणा माथुर, अधि.
श्री अमरजीत सिंह गिरसा, अधि.
मैसर्स अरपुतम, अरूणा एंड कंपनी एडवोकेट्स की ओर से

श्री प्रमोद स्वरूप, वरि. अधि.
श्री अभिजीत सेनगुप्ता, अधि.
श्री सचिन दास, अधि.

श्री एम.एन. कृष्णामणी, वरि. अधि.
श्री बिकास करगुप्ता, अधि.
श्री अभिजीत सेनगुप्ता, अधि.

श्री पी.एस. पटवालिया, वरि. अधि.
श्री मनीष पिटाले, अधि.
श्री वसी हैदर, अधि.
श्री सी.एस. अश्री की ओर से

अधिवक्ताओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिया है–

इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली की सचिव श्रीमति अलका सिरोही ने एक विस्तृत हलफनामा दिया है, जिसकी एक कॉपी हमें विद्वान अतिरिक्त सालिसीटर जनरल के माध्यम से अदालत में सौंपी गई है। इसे रिकॉर्ड में लिया रखा गया है। हमारे पिछले आदेश में उठाए गए सभी सवालों के स्पष्ट

जवाब देने के गंभीर प्रयास यहां किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, डीलर संगठन और राज्य सरकारें इस हलफनामें पर अपना जवाब आज से एक सप्ताह के भीतर जमा कर सकते हैं।

न्यायालय के इस प्रश्न के जवाब में कि किसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बंद नहीं की जानी चाहिए, एक विस्तृत जवाब दाखिल किया गया है जिसमे कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे और अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणियों के तहत आने वाली आबादी के कुल आवंटन को पूरा करने के बाद बचा हुआ खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी की रेखा से ऊपर की जनता के लिए बांट दिया जाता है। जब समय इससे पिछला आदेश पारित किया गया तब अदालत का ठीक ऐसा ही मानना था।

हलफनामे में इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि भारत संघ राज्यों को ३५ किलोग्राम प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न का आवंटन कर रही है। अदालत के इस सवाल के जवाब में कि भ्रष्टाचार और चोरी से बचने के लिए के लिए जन वितरण प्रणाली को प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह कंप्यूटरकृत कर दिया जाना चाहिए। अदालत का यह भी मानना है कि भारत सरकार को सभी राज्यों के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहिए। पिछले आदेश में भी यह कहा गया है कि भारत सरकार कंप्यूटरकरण के काम में विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे यूनिक आईटेंडिफिकेशन अथॉरिटी या अन्य की सलाह ले सकती है। इसके जवाब में यह बताया गया है कि खाद्य और जन वितरण विभाग लक्षित जन वितरण प्रणाली–टीपीडीएस के कंप्यूटरीकरण के लिए कई तरह की पहल कर चुका है। टीपीडीएस के कंप्यूटरीकरण संबंधी एक नीतिगत योजना को अगस्त

२००९ में मंजूरी दी जा चुकी है, जो प्रयोग के तौर पर चार राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, छतीसगढ़ और दिल्ली के तीन-तीन जिलों में लागू होगी। छतीसगढ़ के एक जिले में खाद्यान्न की बोरियों की निगरानी का प्रयोग शुरू होगा। स्मार्ट कार्ड आधारित टीपीडीएस कमोडिटी की पहुंच संबंधी एक पायलट योजना केंद्र शासित चंडीगढ़ और हरियाणा राज्यों के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई के लिए नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर-एनआईसी ने इंन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स मैनेजमेंट-आईआईएफएम नाम का एप्लीकेशन विकसित किया है। इस प्रोजेकट का मकसद एफसीआई को किसी भी समय खाद्यान्न संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना है।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर ३५ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, ६०० से अधिक जिलों, उनके उप खंड या तहसील स्तर पर गोदामों और ५ लाख से ज्यादा राशन की दुकानों में सूचना और संचार तकनीक आधारित उपाय करना काफी जटिल कार्य है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र-एनआईसी और भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण-यूआईडीएआई व अन्य विशेषज्ञों को मिलाकर 9 अगस्त 2008 को एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके प्रमुख एनआईसी के महानिदेशक हैं और खाद्य एवं जनवितरण विभाग, एफसीआई के प्रतिनिधियों के अलावा चुनिंदा राज्यों के सचिव भी इसमें सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इस टास्क फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मौजूदा परियोजनाओं के एकीकरण की रूपरेखा तैयार करे और यह भी सुझाए कि कैसे यूआईडीएआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए।

भारत संघ सिद्धांतः समूची जन वितरण व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण पर सहमत हो गया है। जिसका अभिप्राय है कि एफसीआई के गोदाम से लेकर अंतिम लाभार्थी तक कंप्यूटरीकरण के जरिए जन वितरण प्रणाली में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री परासन ने कुछ समय की मोहलत मांगी है। मामले की तत्परता को देखते हुए हमने भारत सरकार से पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने और इस अदालत में जल्द से जल्द अथवा हर हालत में आज से छह सप्ताह के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट जमा करने का निवेदन किया है। भारत संघ जिसे भी उचित समझे किसी भी संगठन अथवा एजेंसी की मदद और सहयोग ले सकता है।

अपने हलफनामे में खाद्य सचिव ने कहा है कि पिछले तीन साल में गेहूं और चावल की रिकार्ड खरीद की गई है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय पूल दिनांक 01 /06/ 2010 को 604.28 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया। पिछले तीन साल के दौरान गेहूं और चावल की ज्यादा खरीद और खरीदी गई मात्रों को रखने के लिए देश में ढंके भंडारण स्थान की अपर्याप्त उपलब्धता के चलते दिनांक 01/06/2010 को 178 लाख टन गेंहू ढंके और चबूतरे (कवर्ड एंड प्लिन्थ-सीएपी) भंडार में रखा हुआ था। इस प्रकार के गोदाम में जमीन से ऊपर उठे आधार पर भंडारण कर ऐसी पॉलीथीन से ढंक जाता है जो खासतौर पर इस प्रयोजन के लिए बनी होती हैं।

भारत सरकार को देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। खाद्यन्न की रिकॉर्ड खरीद के मद्देनजर, जिसे भारत सरकार ठीक से संग्रहीत और सुरक्षित

रखने में सक्षम नहीं है, यह उचित होगा कि भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कुछ दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय करे। स्थायी समाधान पर्याप्त भंडारण सुविधा के निर्माण से होगा। भारत संघ देश के हर राज्य में एफसीआई के कम से कम एक बडे गोदाम के निर्माण पर विचार कर सकता हैं और राज्य के हरेक जिले में नहीं तो हर संभाग में में एक गोदाम बनाने की संभवना तलाशी जा सकती है।

इसी प्रकार, भारत सरकार सड़ रहे खाद्यन्नों की इस समस्या से निबटने के लिए कुछ अल्प अवधि के उपाय करने पर विचार कर सकती है:
(क) गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को खाद्य आपूर्ति की मात्रा में बढ़ोतरी
(ख) उचित मूल्य वाली दुकानों को महीने के सीाी 30 दिनों खोलना
(ग) बहुत कम दाम पर अथवा मु□त में जरूरतमंद आबादी को खाद्यान्न का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आदिवासी औ सूखा पीड़ित इलाकों में खासतौर पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि भारत संघ ने प्रति परिवार 35 किग्रा गेहूं/चावल का आवंटन किया है लेकिन राज्य सरकारें इसी अनुपात में इसका वितरण नहीं कर रही हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें इस बारे में एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र जमा करें।

सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत के समझ जितने भी आवेदन है, उन पर आज बहस पूरी की जाए।

भारतीय संघ के हलफनामों का जवाब, यदि कोई हो, एक सप्ताह के भीतर जमा किया जा सकता है। जवाब दावा इसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

आगे के निर्देश के लिए इस याचिका को दिनांक 31 /08/2010 को सूचीबद्ध किया जाता है।

(जी.वी. रमन्ना)
कोर्ट मास्टर

(नीरू बाला विज)
कोर्ट मास्टर